



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 1979/माघ 2, 1900  
[No. 24] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1979/MAGHA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विदेश कार्य विभाग

अधिस्चना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1979

सा. का. नि. 37 (अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 1979 से, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित राष्ट्रमण्डल देश जोड़ती हैं, अर्थात् :—

“फिजी”।

[फा. सं. एल./413/1/79]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1979

**G.S.R. 37(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby adds with effect from the 1st day of February, 1979, the following commonwealth country to the First Schedule to the said Act, namely :

"Fiji".

[No. L/413/1/79]

आदेश

सा. का. नि. 38 (अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अध्याय 3 को छूड़ कर, उक्त अधिनियम के उपबन्ध 1 फरवरी से फिजी को लागू होंगे।

[फा. सं. एल/413/1/79]

एस. पी. जगोता, संयुक्त सचिव

ORDER

**G.S.R. 38(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Fiji with effect from the 1st day of February, 1979.

[No. L/413/1/79]

S. P. JAGOTA, Jt. Secy.